प्र.सं. .... / वाद / प्रपत्र / ....

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
11/12/25	[illegible] पत्र हुए अभिभाषक [illegible] है। [illegible] [illegible] अधिकारी [illegible] कार्यवाही बाबत [illegible] है। [illegible] है। अभिभाषकगण [illegible] है, [illegible] कार्यवाही हेतु दिनांक 23/12/25 [illegible]
23/12/25	वकील प्रार्थी उप०	बहस उभयपक्ष सुनी गई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वाद वर्णित आराजी बालुराम जी कि है। चूंकि कोई पुत्र पुत्री नहीं होने से उनके भ्राता द्वारा मुझ प्रार्थी नरेश उर्फ नरसीराम पुत्र भैरूलाल को दत्तक पुत्र मानते हुए एक इच्छा पत्र के माध्यम से मेरे पक्ष में अंकित किया गया। बालुराम जी के 100 वर्ष पूरे होने पर उनके अंतिम क्रिया क्रम भी मेरे द्वारा किये गये। वाद वर्णित आराजी पर प्रार्थी का काबिज काश्त होने से अप्रार्थीगण को प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखल अंदाजी नहीं करने बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे। बहस उभयपक्ष सुनी जाकर पत्रावली पर उपलब्ध Record का अवलोकन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि वाद वर्णित आराजी का खातेदार बालुराम है एवं नरेश उर्फ नरसीराम का उक्त आराजी पर हक अधिकार के सम्बन्ध पर कोई आक्षेप एवं ऐसा कोई तथ्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं हुआ जिससे प्रार्थी के अधिकारों पर कोई हस्तक्षेप किसी के द्वारा किया

प्र.सं. ..../ दावा / प्र.पत्र / ....

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
जाना प्रमाणित हो। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी प्रथम दृष्टया, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु पर प्रार्थी के पक्ष में प्रमाणित नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रा० फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तामील तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।	